भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3417
जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति

3417. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों और जिला न्यायालयों में सामान्य श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के न्यायाधीशों का राज्य-वार एवं श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) विगत दस वर्षों के दौरान सामान्य श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति का राज्य-वार, श्रेणी-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सभी श्रेणियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए नियमों/दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है, जो किसी जाति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करता है। अतः, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बीच किसी जाति या व्यक्तियों के वर्ग के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रवर्ग-वार डाटा केंद्रीय रूप से उपलब्ध नहीं है । 2018 से, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पद के लिए सिफारिश किए गए व्यक्तियों के लिए विहित रुपविधान (उच्चतम न्यायालय के परामर्श से तैयार किया गया) में उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित ब्यौरे का उपबंध करना अपेक्षित है। सिफारिश किए गए व्यक्तियों द्वारा

उपबंधित सूचना के अनुसार, 2018 से 28.07.2025 तक 753 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, जिनमें से 24 अनुसूचित जाति प्रवर्ग से संबंधित हैं, 17 अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से संबंधित हैं, 93 अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रवर्ग से संबंधित है और 42 अल्पसंख्यक प्रवर्ग से संबंधित हैं ।

प्रक्रिया के ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों के आरंभ का उत्तरदायित्व संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है ।तथापि, सरकार न्यायपालिका में सामाजिक विविधता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध कर रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों को भेजने के दौरान, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों पर सम्यक रुप से ध्यान दिया जाए । केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है जिनकी सिफारिश उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा की जाती है।

जहां तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति का संबंध है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन, राज्यों में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 अनुच्छेद के साथ पठित 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकारें, उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति, आरक्षण और सेवानिवृत्ति के संबंध में नियम और विनियम बनाती हैं।

न्यायिक अधिकारियों की नियुक्तियों के ब्यौरे केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते है। न्याय विभाग के एमआईएस (प्रबंधन सूचना प्रणाली) पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, 04.08.2025 तक जिला न्यायालयों में विभिन्न प्रवर्गों से न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत पद संख्या **उपाबंध** पर है।

****

उपाबंध

04.08.2025 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में एससी/एसटी/ओबीसी/अन्य न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत पद संख्या

क्र. सं.	राज्य और संघ राज्यक्षेत्र	सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग)				सिविल न्यायाधीश (ज्येष्ठ प्रभाग)				जिला न्यायाधीश/डीजे			
		एससी	एसटी	ओबीसी	अन्य	एससी	एसटी	ओबीसी	अन्य	एससी	एसटी	ओबीसी	अन्य
1	अंदमान और निकोबार	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0	5
2	आंध्र प्रदेश	52	19	122	83	19	10	46	63	36	5	58	61
3	अरुणाचल प्रदेश	0	13	0	0	0	15	0	0	0	10	1	0
4	असम	16	23	0	166	12	21	0	106	6	7	0	104
5	बिहार	134	5	301	296	66	5	105	139	53	4	75	496
6	चंडीगढ़	9	0	2	7	0	0	1	1	1	0	1	8
7	छत्तीसगढ	26	57	27	54	17	45	26	44	30	26	37	76
8	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0	1	0
9	दिल्ली	35	20	0	224	22	2	0	97	10	1	0	377
10	गोवा	0	2	0	17	0	0	1	11	0	0	1	8
11	गुजरात	59	1	34	347	50	4	151	277	8	0	33	221
12	हरियाणा	42	0	57	206	41	0	18	73	21	0	21	182
13	हिमाचल प्रदेश	8	2	6	47	8	4	6	30	6	1	1	41
14	जम्मू - कश्मीर	13	11	3	83	6	7	1	66	9	5	2	66
15	झारखंड	15	31	16	80	0	0	0	154	0	0	0	205
16	कर्नाटक	77	19	273	26	90	20	262	34	67	9	207	83
17	केरल	22	3	121	119	11	1	48	33	10	1	125	85
18	लद्दाख	1	2	0	1	0	4	0	0	0	1	1	0
19	लक्षद्वीप	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0
20	मध्य प्रदेश	101	29	114	218	81	114	81	232	84	91	114	410
21	महाराष्ट्र	140	2	266	512	43	3	128	336	44	2	106	358
22	मणिपुर	0	6	3	9	0	4	2	7	0	4	0	14
23	मेघालय	0	15	0	0	0	21	0	0	0	18	0	3
24	मिजोरम	0	13	0	0	0	17	0	0	0	15	0	0
25	नागालैंड	0	0	0	7	0	0	0	5	0	0	0	12
26	ओडिशा	30	4	68	247	0	0	5	264	0	0	0	217
27	पुडुचेरी	3	0	12	0	0	0	4	1	0	0	4	2
28	पंजाब	100	0	53	212	50	0	25	63	37	0	22	154
29	राजस्थान	99	69	129	277	60	52	87	181	58	24	92	378
30	सिक्किम	0	1	3	0	0	2	3	0	0	5	9	0
31	तमिलनाडु	140	9	443	7	72	5	259	5	42	1	239	18
32	तेलंगाना	38	20	96	64	15	7	48	22	15	13	55	52
33	त्रिपुरा	4	4	0	22	5	10	0	24	5	6	0	26
34	उत्तर प्रदेश	214	17	309	354	134	15	189	238	191	7	360	647
35	उत्तराखंड	16	3	13	59	12	4	15	52	18	5	9	64
36	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	350	0	0	0	243	0	0	0	270
कुल		**1,395**	**400**	**2,472**	**4,099**	**814**	**393**	**1,513**	**2,806**	**751**	**261**	**1,575**	**4,643**

स्रोत : न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

****